राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	ओमप्रकाश बनाम बाबूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 434/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण किये बगैर ही एवं प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु का प्रथमदृष्टया परिक्षण/विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित्त व विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/08/2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दिनांक 28/10/2025 को दोनों पक्षों की सुनवाई कर व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे | उभयपक्ष को जरिये अधिवक्ता यह आदेश प्रदान किये जाते है कि वे दिनांक 28/10/2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 08/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	